

पुलिस विभाग जिला-अजमेर

।। प्रेस नोट दिनांक 03.08.2017

रक्षाबंधन के पावन पर्व से पूर्व दुर्गावाहिनी बालिकाओ से पुलिस कप्तान श्री राजेन्द्र सिंह ने बंधाई राखी ,उनकी सुरक्षा के लिये दिया आश्वासन





प्रेस विज्ञप्ति

जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर के आदेशानुसार वर्तमान में आतंकवादी गतिविधियों/बम विस्फोट की घटनाओं को मध्यनजर रखते हुये स्वतंत्रता दिवस 2017, पर समस्त आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी लावारिस वस्तु/ब्रीफकेस इत्यादि को न छुयें, यदि ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी मिलती है तो निकटतम पुलिस थानें या पुलिस नियन्त्रण कक्ष अजमेर (0145-2629166, 2621349 100, 1090) पर अविलम्ब सूचित करें।

अवैध शराब सहित दो आरोपी गिरफ्तार



पुलिस थाना मसूदा में करण सिंह थानाधिकारी मय जाप्ता के मुलजिम श्री सुरेश पुत्र पुनम जाति रावत उम्र 21 साल निवासी झुठा का बाडिया रामगढ थाना मसूदा जिला अजमेर को अवैध रूप से 55 पच्चे देशी शराब को अपने कब्जे में रखने पर धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर मुकदमा नं 157/17 दर्ज किया गया।



पुलिस थाना मसूदा में मुकदमा नं 152/17 धारा 19/54 आबकारी एक्ट में वांछित मुलजिम मोहन लाल पुत्र लालूराम जाति तेली उम्र 55 साल निवासी जामोला थाना मसूदा जिला अजमेर जो उक्त प्रकरण में माल सप्लायर था जिसको गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

एक स्थायी वारण्टी व एक गिरफ्तारी

वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफ्तारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मन थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे श्री समदर सिंह सउनि मय टीम द्वारा आज दिनांक 03.08.17 को स्थायी वारण्टी श्री हरीश कुमार बहल पुत्र श्री किशन लाल बहल निवासी 1160/14 ईसाई मौहल्ला रेल्वे अस्पताल के पास अजमेर को न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,(एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 01 अजमेर से जारी स्थायी वारण्ट मे गिरफ्तार किया गया। एवं आज दिनांक 03.08.17 को श्रीमति चन्द्रप्रभा पत्नी गणपत लाल उम्र 38 साल जाति कोली निवासी डी-37 पृथ्वीराजरोड चन्द्रबरदाई नगर अजमेर हाल पानी की टंकी के पास चन्द्रबरदाई नगर अजमेर को सीआर नं. 299/17 न्यायालय श्रीमान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,(एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 03 अजमेर से जारी गिरफ्तारी वारण्ट मे गिरफ्तार किया गया।

शान्ति भंग के आरोप में 8 आरोपी गिरफ्तार



पुलिस थाना गंज द्वारा शांतिभंग के आरोप में 01 ईमत्याज अंसारी पुत्र मुसूर अली जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी पन्नीग्राम चौक थाना दरगाह अजमेर 02 सुखदेव उर्फ राजू पुत्र गुमान सिंह जाति आदिवासी उम्र 40 साल निवासी मण्डीदीप थाना मण्डीदीप जिला (MP) 03 सुरेश बाबू राव गीते पुत्र भववा जाति भट्ट उम्र 55 साल निवासी ताजुददीन बाबा की दरगाह नागपुर

(महाराष्ट्र) 04 श्याम सिंह पुत्र जयकिशोर सिंह जाति ब्राह्मण उम्र 60 साल निवासी दौलतपुर थाना बनारस कोतवाली जिला बनारस (UP) 05 राजू सिंह पुत्र रामू जाति आदिवासी उम्र 35 साल निवासी अलीपुरदुआ थाना पनियालकुडी जंक्शन सिलीगुडी (प.बंगाल) 06 गंगाराम पुत्र भन्नी जाति प्रजापत उम्र 30 साल निवासी हेलक थाना कुम्हेर जिला भरतपुर 07 टी. राजकुमार पुत्र भरत कुमार जाति राजपूत उम्र 56 साल निवासी 4-11 त् कॉलोनी पीलम पेलम विशाखपटनम (आन्ध्रप्रदेश) 08. बन्शीलाल पुत्र मोहनला टाक जाति टाक उम्र 45 साल नि. चामण्डा कॉलोनी फायसागर रोड थाना गंज अजमेर को अन्तर्गत धारा 151 सी.आर.पी.सी. के गिरफ्तार किया गया।

शान्ति भंग के आरोप मे 04 आरोपी गिरफ्तार



पुलिस थाना मसूदा में सुभान पुत्र रोडा जाति मेहरात उम्र 45 साल निवासी कालाखेत करवाई थाना मसूदा जिला अजमेर 2 फिरोजपु सुबान जाति मेहरात उम्र 18 साल निवासी कालाखेत करवाई थाना मसूदा जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस थाना केकडी-मे प्रभुलाल सउनि द्वारा 1. सत्यनारायण पुत्र उगमा जाति कुमावत उम्र 22 साल निवासी पिपलाज पुलिस थाना सावर जिला अजमेर 2 राजु पुत्र मोहन लाल जाति कुमावत उम्र 21 साल निवासी धून्धरी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया ।

किशनगढ में एनसीसी की भर्ती चल रही ।





ध्वनि प्रदुषण के दो प्रकारण दर्ज

पुलिस थाना केकडी-मे शिवचरण हैड कानि0 मय जाप्ता द्वारा दौराने गस्त एंव जरायम कंट्रोल के दौरान कस्बा केकडी में पीकअप चालक शंकर लाल पुत्र बिरद्धी चन्द जाति तेली उम्र 42 साल निवासी तेली मौहल्ला केकडी पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को अपने वाहन में बिना लाईसेंस व परमिट के टेप मय स्पीकर द्वारा तेज आवाज में गाने बजाकर ध्वनि प्रदुषण करने पर प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस थाना केकडी- सुखराम हैड कानि0 मय जाप्ता द्वारा दौराने गस्त एंव जरायम कंट्रोल के दौरान कस्बा केकडी में पीकअप चालक श्री कालुराम पुत्र श्रवल जाति बगरिया उम्र 23 साल निवासी ग्राम गुलाव वाडी पारा पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को अपने वाहन में बिना लाईसेंस व परमिट के टेप मय स्पीकर द्वारा तेज आवाज में गाने बजाकर ध्वनि प्रदुषण करने पर प्रकरण दर्ज किया गया।

ध्वनी प्रदूषण में एक

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना सरवाड में नारायण पुत्र हरजी जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी गुन्दाली थाना सरवाड जिला अजमेर को मुकदमा न0 218/17 धारा 4/6 आरएनसी एक्ट मे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना अलवर गेट में तीन स्थाई वारन्टी में गिरफ्तार

पुलिस थाना अलवर गेट मे स्थाई वारन्टी में 1.प्रभुदयाल पुत्र मुगांराम जाति मीणा उम्र 70 वर्ष निवासी करकेडी अमरसर जयपुर से 2.गोपाल कृष्ण मेव पुत्र तुलसी राम जाति मेघवंशी उम्र 38 वर्ष निवासी कृष्णपुरी पुलिस थाना गांधीनगर अजमेर को एएसआई मुकेश कुमारव कानि जीवण राम व श्याम सिंह ने स्थाई वारन्टी में गिरफ्तार किया गया।

विधूत का पोल गिरा जिससे राहें चलते एक व्यक्ति के उपर गिरने से घायल हो गया

पुलिस थाना मदनगंज में आज दिनांक 03.08.2017 को कृषि मण्डी के सामने नये बस स्टेण्ड के पास जेसीबी से सफाई करते समय विधूत का पोल गिरा जिससे राहें चलते एक व्यक्ति के उपर गिरने से घायल हो गया जिसे राजकीय अस्पताल किशनगढ में भर्ती किया गया।

पुलिस थाना मसुदा में आज दिनांक 03.08.2017 को की गई कार्यवाही—
18 एमवीएक्ट के चालान /185 की कार्यवाही—0/पुलिस थाना ब्यावर
सदर—स्थायी वारन्ट—07/गिरफ्तारी वारन्ट—01/कोप्ता के
चालान—05/एम वी एक्ट—05/4/6 आर एन सी एक्ट—01/पुलिस थाना
क्रिश्चनगंज—185 की कार्यवाही—05/60 पुलिस एक्ट—02/एम
वी एक्ट—13/151 की कार्यवाही—01/पुलिस थाना नसीराबाद सदर—185
की कार्यवाही—01 पुलिस थाना बादरसिदरी—185—26/510 की
कार्यवाही—27/151 की कार्यवाही—08/एम वी एक्ट—73
कोप्ता एक्ट—04/पुलिस थाना दरगाह—स्थाई वारन्टी—01 पुलिस थाना
सिविल लाईन—स्थाई वारन्टी—01/पुलिस थाना आदर्शनगर—185 की
कार्यवाही—02 एम वी एक्ट—28 कोप्ता के चालान—10/पुलिस थाना
अराई—स्थाई वारन्टी—01/185 की कार्यवाही—01/कोप्ता के
चालान—10 एम वी एक्ट—05